

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-5469 दिनांक 03.04.2013 की हिन्दी प्रति के प्रथम पारा में उल्लेखित बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली-1051 के स्थान पर बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली-1951 पढ़ा जाय तथा उक्त नियमावली की अंग्रेजी प्रति की कंडिका-2 (ii) को निम्न रूप में पढ़ा जाय:-

"10 percent of the post shall be filled on the basis of merit through Limited Competitive Examination conducted by Patna High Court, Patna from amongst officers having not less than 3 years service as Civil Judge (Senior Division). Selection shall be as per the procedure and examination as specified in Appendix-'B'.

२१/८/१३
१५/८/१३
(राज किशोर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था01-3-01 / 2010सा0प्र0.....13415...../ पटना-15, दिनांक.14-8-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को (दो प्रतियों में) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

२१/८/१३
१५/८/१३
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था01-3-01 / 2010सा0प्र0.....13415...../ पटना-15, दिनांक.14-8-13

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२१/८/१३
१५/८/१३
सरकार के अवर सचिव।